राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक झालावाड

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/15–16/92 दिनांक– 02.07.2015

प्रबन्धक, स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल,
(अंग्रेजी माध्यम) भवानीमंडी, जिला झालावाड

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा –18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके दिनांक 30.04.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भवानीमंडी, जिला झालावाड** को **दिनांक 01.07.2015 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम** के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा – 5 के पश्चात् मान्यता/संबधन के लिए कोई विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधको का पालना करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा – 12 (2) के उपाबंधो के अनुसार प्रतिपूर्ती किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नही किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम – 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार अनःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यता विद्यार्थियों का समावेश किया जायेगा।
   - अध्यपकों की भर्ती अधिनियम की धारा– 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जानी है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।
   - अध्यापक स्वंय को किसी निजि अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजन में नियोजित नही करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है :–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र – 9800 वर्गफीट।
- कुल निर्मित क्षेत्र – 9800 वर्गफीट।
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल – 20000 वर्गफीट।
- कक्षा कमरों की संख्या – 15
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय –सह–भंडार कक्ष – 06
- बालक–बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – उपलब्ध है।
- पेयजल सुविधा – उपलब्ध है।
- मिड–डे मिल किचन – नहीं
- बाधा रहित पहुंच – हाँ।
- अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है।

11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लाक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड़ को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड कमांक जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/13–14/92 दिनांक 02.07.2015 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हैऔर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाऐं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक झालावाड़

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/15–16/92 दिनांक– 02.07.2015

प्रतिलिपि–

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक – झालरापाटन।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक झालावाड़

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, झालावाड

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–232283, फैक्स न. –232283
Email – deoele.jwr447@gmail.com

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/16–17/225 दिनांक– 05.09.2016

प्रबन्धक, स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल,
भवानीमंडी, पं.स. भवानीमंडी, जिला झालावाड़

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा –18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके ऑन लाईन आवेदन क्रमांक 12291 दिनांक 25.05.2016 और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, भवानीमंडी, पं.स. भवानीमंडी जिला झालावाड़** को शैक्षिक सत्र 2016–17 से **क्रमोन्नत कर** प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर **अंग्रेजी माध्यम** के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्याधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा – 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधकों का पालना करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा – 12 (2) के उपाबंधो के अनुसार प्रतिपूर्ती किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नही किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम – 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार अनःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जायेगा।

- अध्यपकों की भर्ती अधिनियम की धारा– 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जानी है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आईताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हताएं अर्जित करेंगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।
- अध्यापक स्वंय को किसी निजि अध्यापन कियाकलापों में नियोजन में नियोजित नही करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है :–
    - विद्यालय परिसर का क्षेत्र – 15792 वर्गफीट।
    - कुल निर्मित क्षेत्र – 2000 वर्गफीट।
    - कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल – 1500 वर्गफीट।
    - कक्षा कमरों की संख्या – 14
    - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय –सह–भंडार कक्ष – 05
    - बालक–बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – उपलब्ध है। (10 बालक– 08बालिकाओं)
    - पेयजल सुविधा – उपलब्ध है। (नल कनेक्शन, हेण्डपम्प)
    - मिड–डे मिल किचन – नही।
    - बाधा रहित पहुंच – हाँ।
    - अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है।
11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लाक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड़ को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड कमांक जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/ 16–17/225 दिनांक 05.09.2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हैऔर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक झालावाड

कमांक–जिशिअ/प्राशि/झा/मान्यता/आरटीई/16–17/225
दिनांक– 05.09.2016

प्रतिलिपिः–

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक – भवानीमंडी।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक झालावाड